



न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर
(पीठासीन अधिकारी : श्री छोगाराम देवासी, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 09/2017 (राजस्व अपील)
RCMS No. 2017/00036

अनवान

1. श्री बादामीलाल पिता मोतीलाल जैन, निवासी तहसील रोड़, खेरवाड़ा, जिला उदयपुर।

—प्रार्थी/अपीलान्त

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार खेरवाड़ा, जिला उदयपुर।

— विपक्षी/रेस्पोंडेन्ट

उपस्थित

1. श्री हर्षद जोशी, अधिवक्ता अपीलान्त।
2. श्री मनोज पंवार, राजकीय अधिवक्ता।

अपील कार्यवाही अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
अपील विरुद्ध न्यायालय तहसीलदार खेरवाड़ा, आदेश 07/2016 दिनांक 20.09.2017

*** निर्णय ***

दिनांक— 23-04-2018

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्त ने इस न्यायालय मे एक प्रार्थना पत्र अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध आदेश तहसीलदार खेरवाड़ा, जिला उदयपुर निर्णय दिनांक 20.09.2017 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम खेरवाड़ा छावनी, तहसील खेरवाड़ा के हाल आराजी संख्या 555 जिसके साबिक आराजी संख्या 452 हल्के आबादी का है तथा प्रत्यर्थी द्वारा दर्शायी गई हाल आराजी संख्या 869, जिसके साबिक आराजी संख्या 703 चूंकि दोनो आराजी भूमि पास पास होने से मात्र पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया है, वह सर्वथा गलत हैं। अपीलार्थी ने अपने स्तर पर अनुभवी विशेषज्ञ सेटलमेंट विभाग से सेवानिवृत्त अमीन से अपनी वास्तविक/तथ्यात्मक स्थिति जानने के लिये रिपोर्ट तैयार करवायी। इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय ने भी अपने स्तर पर भू प्रबंध विभाग उदयपुर के द्वारा भी वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक रिपोर्ट साबिक हाल नक्शे बाबत् अधिकारिक रूप से प्राप्त की, जिसमे भी मामला अपीलान्त के विरुद्ध अतिक्रमण का नहीं बनना पाया गया। जब न्यायालय के समक्ष सारवान नक्शे बाबत् त्रुटि प्रत्यक्ष लाये गये, इसके पश्चात् भी अधिनस्थ न्यायालय ने इन्द्राज दुरस्ती का प्रकरण उपखण्ड अधिकारी खेरवाड़ा को प्रस्तुत करने के बजाय अपीलान्त के विरुद्ध धारा 91 की कार्यवाही करते हुए व अपीलान्त को अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने का आदेश पारित किया। साबिक व हाल नक्शे की इमेज को देखने से यह प्रत्यक्ष ज्ञात होता है कि साबिक मे कम नाले की चौड़ाई को हाल नक्शे मे बढ़ा दिया गया हैं। सेटलमेंट की टीम द्वारा तैयार रिपोर्ट का पैरा संख्या 1 भी कथित त्रुटि को रेखांकित करता है। कथित रिपोर्ट के पैरा न. 1 मे यह वर्णित किया गया है कि गत खसरा नम्बर 703 का क्षेत्रफल 4 बीघा 10 बिस्वा बीघा 0.97हे. है, जिसका हाल

खसरा नम्बर 869 बना है, जिसका हाल क्षेत्रफल 1.16हे. दर्ज रेकॉर्ड है, जो साबिक के मुकाबले 0.19हे. बेशी आता हैं। गत नक्शे मे नाले की चौड़ाई कम थी, गत व हाल का मिलान करने पर हाल नक्शे मे नाले की चौड़ाई अधिक बताकर साबिक नम्बर 452 आबादी भूमि मे बढा दिया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिनुकुल न होने से अपास्त किये जाने योग्य हैं।

प्रकरण बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विपक्षी को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये व अधिनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। प्रकरण मे तहसीलदार द्वारा प्रकरण से संबंधित मूल पत्रावली संख्या 07/2016 प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलान्ट अधिवक्ता ने बहस प्रारंभ करते हुए अपने अपील प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए स्पष्ट किया कि सेटलमेंट विभाग द्वारा गत के मुकाबले नाले का हाल रकबा बढा दिये जाने से अपीलान्ट अतिक्रमण के दायरे मे आया है, जबकि अपीलान्ट का नाले की भूमि पर इंच मात्र भी कब्जा नहीं है। ऐसी स्थिति मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा की गई समस्त कार्यवाही विधिनुकुल न होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.09.2017 को अपास्त किया जावें। प्रकरण मे राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे भाग लेते हुए स्पष्ट किया कि राजस्व ग्राम खेरवाड़ा छावनी की जमाबंदी संवत् 2069-72 आ.न. 869 रकबा 1.0400हे. किस्म नाला बिलानाम मे रकबा 0.0036हे. पर पक्का निर्माण कर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण की पटवारी हल्का द्वारा पी-14 मे दी गई रिपोर्ट के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किये गये एवं पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिया गया। अपीलान्ट ने अपने निर्मित भवन को वर्तमान आराजी संख्या 555 किस्म आबादी मे होना बताया। आराजी संख्या 555 एवं 869 सटे होने से आधुनिक तकनीक से पैमाईश हेतु तहसील कार्यालय द्वारा जिला कलक्टर महोदय को भू प्रबंध विभाग से पैमाईश बाबत लिखा गया। भू प्रबंध विभाग द्वारा 869 की पैमाईश की गई एवं प्राप्त पैमाईश रिपोर्ट अनुसार गत आराजी संख्या 703 के हाल आराजी संख्या 869 बनना व बंदोबस्त पूर्व नाले का रकबा कम होना व बंदोबस्त पश्चात् बढा दिया जाना जाहिर आया, किन्तु भू प्रबंध संक्रियाओं के समाप्त होने के बाद नवीन रिर्कॉर्ड अधिसूचित होने पर प्रवर्तन मे आता है, जिसमे यदि किसी प्रकार की त्रुटि है तो सक्षम न्यायालय मे दुरस्त कराने का विधिवत प्रावधान हैं। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किये गये समस्त दस्तावेज सेटलमेंट के पश्चात् के हैं। प्राकृतिक जल बहाव क्षेत्र को अवरोध करने का प्रयास करना गलत है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे की गई समस्त कार्यवाही नियमानुसार है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावें एवं अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 20.09.2017 को यथावत रखा जावें।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी एवं अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र, अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उनमें वर्णित तथ्यों आदि का गंभीरता से अध्ययन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि प्रकरण ग्राम खेरवाड़ा छावनी, तहसील खेरवाड़ा की साबिक आराजी संख्या 703, जिसके हाल आराजी संख्या 869 है किस्म नाला रकबा 1.0400हे. मे से 0.0036हे. पर अपीलान्त द्वारा पक्का निर्माण कर अतिक्रमण करने से संबंधित है। अपीलान्त द्वारा हाल आराजी संख्या 869 रकबा 1.0400हे. मे से 0.0036हे. पर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण करने पर पटवारी हल्का खेरवाड़ा द्वारा प्रस्तुत पी-14 की रिपोर्ट के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त के विरुद्ध धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही की गई है। अपीलान्त द्वारा निर्मित भवन वर्तमान आराजी संख्या 555 किस्म आबादी में होना बताया। भू प्रबंध विभाग द्वारा प्रस्तुत आराजी संख्या 869 की पैमाईश रिपोर्ट अनुसार गत आराजी संख्या 703 के हाल आराजी संख्या 869 बनना व बंदोबस्त पश्चात् नाले का रकबा 0.19हे. बढ़ा दिया जाना अवश्य जाहिर होता है, किन्तु यहां विचारणीय बिंदु यह है कि नाले की भूमि से सटी भूमि आबादी भूमि है, जिस पर न तो अपीलान्त की खातेदारी है एवं न ही अपीलान्त के पास सेटलमेंट के पूर्व का उक्त भूमि का पट्टा उपलब्ध है, जिससे यह साबित हो सके की सेटलमेंट के दौरान नाले की चौड़ाई बढ़ जाने से अपीलान्त के पट्टे की भूमि के क्षेत्रफल को कम किया गया हो या उस पर कोई प्रभाव पड़ा हो। अपीलान्त अधिवक्ता भी सेटलमेंट के पूर्व का कोई पट्टा आदि प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे हैं। नाले की चौड़ाई आबादी भूमि की ओर बढ़ जाने के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा भी किसी प्रकार की आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है एवं न ही अपीलान्त का कोई हित प्रभावित होने के संबंध में कोई रिपोर्ट दी गई है। नाले का आप्राकृतिक जल बहाव क्षेत्र को अवरोध करने का प्रयास करना गलत है। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या ही प्रकरण अतिक्रमण का पाये जाने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में पारित किया गया निर्णय दिनांक 20.09.2017 नियमानुसार एवं सही पाया जाता है।

अतः अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 खारिज किया जाता है एवं अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेरवाड़ा, जिला उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.09.2017 को यथावत रखा जाता है। साथ ही तहसीलदार खेरवाड़ा को निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि उक्त नाले पर दुबारा कोई कब्जे का प्रयत्न न करें एवं भविष्य में भी बिलानाम राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वाले अतिक्रमियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(छोगाराम देवासी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर